108

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1202–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–03–2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग राऊ तहसील व जिला इंदौर प्रकरण कमांक 24/अपील/2015–16

1–दुर्गाप्रसाद पिता शंकरलाल दुबे
2–प्रवीण पिता दुर्गाप्रसाद दुबे
3–अरूण पिता दुर्गाप्रसाद दुबे
सभी निवासीग्राम रंगवासा तहसील व जिला इंदौर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– घनश्याम पिता शंकरलाल दुबे
2– गंजानंद पिता शंकरलाल दुबे
सभी निवासी ग्राम रंगवासा तहसील व जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री टी0टी0गुप्ता, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री बी0के0गुप्ता अभिभाषक–अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग राऊ तहसील व जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.3.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण आदेश दिनांक 5–5–2015 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 17–5–2016 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 1 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–3–2017

को अंतरिम आदेश पारित अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में अनावेदकगण पक्षकार है, परन्तु इस संबंध में अनावेदकगण की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वरा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र असत्य आधारों पर प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है।

(3) अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष असत्य कथन किये गये हैं कि इन्टरनेट से खसरे की प्रति प्राप्त करने पर आदेश की जानकारी हुई जबकि वास्तविकता यह है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण की है और प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदकगण का कोई स्वत्व नहीं है।

(4) अनावेदकगण को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही रही है ।

तर्क के समर्थन में 1989 आरएन 243 व 1968 आरएन 576 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में अनावेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और उनके द्वारा जानकारी दिनांक से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील समय सीमा में प्रस्तुत की गई है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटवारा

आदेश पारित किया गया है, जबकि नामान्तरण पंजी पर संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित नहीं किया गया जा सकता है । स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित आदेश है जिस पर समय सीमा लागू नहीं होती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सामान्यतः प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाना चाहिये जिससे पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है लेकिन आवेदकगण प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर नहीं होने देना चाहते हैं इसलिये यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । इसलिये यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालयों में स्वत्व के प्रकरण चल रहे हैं जिसमें अनावेदक पक्षकार है अतः अनावेदक को प्रथमदृष्टया अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनावेदक की अनुपस्थिति में हुआ था, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग राऊ तहसील व जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.3.2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर